

पत्र संख्या : ७ब / ४७०२ यो०ज०सं०-०२/२०१२ - १०९

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० कौ० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका,
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १३ - ९ - १२

विषय :-

माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल, उप शीर्ष-३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200101330545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-१ में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	५०-लघु सिंचाई विभाग/ ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	१०१-सतही जल/ ३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी. केन्द्रांश)	०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण ५०P470200101330545	103.39

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तीन लाख उन्नालीस हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ 10029.00 लाख (₹ एक सौ करोड़ उन्नतीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-१ में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुशोभित कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

८
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- १०९

रॉची, दिनांक :- १३ - ९ - १२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड; पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/धनबाद/गोड्डा/चतरा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

९
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- १०९

रॉची, दिनांक :- १३ - ९ - १२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुधांशु कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

१०
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल,
उपशीर्ष-३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)
विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200101330545

बजट उपबंध (वर्ष २०१२-१३) रु. 10029.०० लाख।

(लाख रु. में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक		प्रशासनिक		विरोध वर्ष २०१२-१३ में आवंटन		अनुदित		
					स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृति की चाहि	मार्च २०१२ तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२		
१	लघु सिंचाई प्रमांडल, धनबाद	धनबाद	टुण्डी	१ बड़की जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण	Phase - I	146.३९।	86.५५६	38.००	- 16.००	22.००			
			वाघमारा	२ राजगंज जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण		124.३०।	87.८७०	0.००					
			गोविन्दपुर	३ मुर्गबनी जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण		124.८६।	56.४१७	0.००					
			तोपचांदी	४ बासपहाड़ जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण		124.५९।	78.१०८	0.००	14.७०।	14.७०।			
			बलियापुर	५ शालापुर जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण		111.५०।	65.१००	0.००					
			निरसा	६ बराजोड़ जोरिया में शू. चेकडैम निर्माण		132.४९।	49.४२।	0.००					
२	लघु सिंचाई प्रमांडल गोड्डा	गोड्डा	पथरगामा	१ फुटलाहीजेर नाला में शू. चेकडैम निर्माण	योग	764.१३।	423.४७।	38.००	- 1.३०।	36.७०।			
			मेहरमा	२ लहेरिया नाला में शू. चेकडैम निर्माण	योग	137.४।।	129.५६।	0.००		19.६९।			
						236.९०।	225.०९।	0.००		19.६९।			
Phase - I का योग				1138.४४।	778.१२।	38.००	18.३९।	56.३९।					
Phase - III													
३	लघु सिंचाई चतरा	चतरा	हंटरगंज	१ धरी नदी पर शू.चेक.		22।.२६।	108.२५।	0.००					
			सिमरिया	२ सिमरिया नाला पर शू.चेकडैम		115.९८।	30.५४।	0.००	85.००।	85.००।			
			टंडवा	३ वृन्दा नाला पर शू.चेकडैम		168.४४।	97.५२।	0.००	167.५५।	93.६७।	0.००		
Phase - III का योग				673.२३।	33।.००।	0.००	85.००।	85.००।					
सकल योग				18।।.६८।	1।।।।.१२।	38.००	103.३९।	14।।।।.३९।					
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तीन लाख उन्नालीस हजार मात्र।													

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)

(वी. सी. नियम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव